

**कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ0ग0)**

**// सूचना //**

क्रमांक-06/तीन-18-1/2023

महासमुन्द, दिनांक 07.11.2023

जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0) के अन्तर्गत रिक्त चतुर्थ श्रेणी (भृत्य), चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)(संविदा) एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) की भर्ती के लिए दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-

**परीक्षा कार्यक्रम**

पद नाम	परीक्षा का नाम	परीक्षा का दिन एवं दिनांक	परीक्षा का समय	रोल नंबर	परीक्षा स्थल
चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)	दक्षता/कौशल परीक्षा	26.11.2023 रविवार	सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक	8001 से 8500 तक	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द
		27.11.2023 सोमवार	सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक	8501 से 8992 तक	
चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) (संविदा)	दक्षता/कौशल परीक्षा	28.11.2023 मंगलवार	सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे तक	9001 से 9192 तक	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द
आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर)	दक्षता/कौशल परीक्षा	29.11.2023 बुधवार	सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे तक	10001 से 10150 तक	जिला एवं सत्र न्यायालय, बी.टी.आई. रोड, महासमुन्द
		30.11.2023 गुरुवार	सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे तक	10151 से 10310 तक	

टीप :-

1. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थी परीक्षा तिथि को परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व अपना प्रवेश पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, महासमुन्द (छ.ग.) में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं । परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन पासपोर्ट साईज का एक रंगीन फोटोग्राफ्स एवं आईडी प्रुफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी

मूल दस्तावेज लेकर दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा ।  
अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2. दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थी दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित होवे। उपस्थित नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की अनुपस्थिति दर्ज की जावेगी, जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी ।
3. यदि चतुर्थ श्रेणी (भृत्य), चतुर्थ श्रेणी (भृत्य)(संविदा) एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) के अभ्यर्थियों की दक्षता/कौशल परीक्षा नियत तिथि को सम्पन्न नहीं हो पाती है, और स्थगित होती है, तो उक्त दिवस को ही उपस्थित अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा तिथि की जानकारी देते हुए, परीक्षा कार्यक्रम, जिला न्यायालय के वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया जावेगा ।

(माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित)

सही/—  
अध्यक्ष

भर्ती चयन समिति  
जिला एवं सत्र न्यायालय  
महासमुन्द (छ.ग.)